न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 28/2020(2020/00381)
अनवान : —

मनीराम पुत्र पोलूराम जाति छिम्प निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. खूबराम पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. जोतराम पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. कानाराम पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. सन्दीप पुत्र गोवर्धन जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
7. राजेश पुत्र मनसुखराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।
8. सुरेश कुमार पुत्र मनसुखराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
श्री नरेन्द्र पचार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 28/10/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं 84/83 के मु0न0 40 के किला न0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी मनीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 के नाम चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 105/101 के मु0 न0 26 के किला न0 23 ता 25, मु0 न0 39 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, मु0 न0 40 के किला न0 10 इस प्रकार कुल किता 18 की कुल 4.5540 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि चक 1 जेएसएल के मु0 न0 26 के किला न0 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता है। स्वीकृत शुदा रास्ता से चक 1 जेएसएल के मु0 न0 39 के किला न0 5 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की व मु0 न0 40 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर आवागमन करते आ रहा है। इसके अलावा पहुंच हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 28/2020 मनीराम बनाम रामकुमार आदि बाबत रास्ता

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने राजीनाम एवं कोई आपति दर्ज नही की है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी राजीनामा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 8 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 1 जेएसएल के मु0 न0 39 के किला न0 5 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 0.013 है0 यानि 8–1/4 फीट व मु0 न0 40 के किला न0 10 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्वी की ओर 0.013 है0 यानि 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़